

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र.एफ 5/अभि./सीटीएडी/275(1)/कुसुम योजना/20-21/

दिनांक :

राशि हस्तांतरण आदेश

विषय : संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत कुसुम योजना (Component B) की राशि हस्तांतरण बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कुसुम योजना (Component B) का क्रियान्वन संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) के माध्यम से किया जा रहा है। पत्रावली की नोटशीट पैरा एन 30 एवं 31 पर प्राप्त अनुमोदन के क्रम में योजनान्तर्गत जनजाति कृषको के कृषि कूप पर सौर उर्जा पम्प संयंत्र स्थापना हेतु टीएडी द्वारा राशि रु. 45,000/- देय होगी।

योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में 1500 जनजाति कृषको को (राशि रु. 45,000/- प्रत्येक कृषक को अनुदान) कुल 675.00 लाख राशि टीएडी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

Component B हेतु प्रथम किश्त राशि 200.00 लाख निम्नांकित तालिका में वर्णित जिलो हेतु उपलब्ध कराई जानी है। विशेष केन्द्रीय सहायता मद में शासन की स्वीकृति सं. 53/2018-19 अन्तर्गत आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध राशि में से उपनिदेशक/सहायक निदेशक, उद्यानिकी कृषि विभाग को हस्तान्तरित करने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है। जिसका समायोजन संविधान की धारा 275(1) मद कुसुम योजनान्तर्गत राशि प्राप्त होने पर किया जा सकेगा।

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	जिला	कुसुम योजना Stream B
1	बांसवाडा	55.00
2	डूंगरपुर	40.00
3	प्रतापगढ़	30.00
4	उदयपुर	55.00
5	सिरोही	12.00
6	राजसमंद	3.00
7	चित्तौडगढ़	2.00
8	पाली	3.00
	योग	200.00


sd.
(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय) I.A.S.
आयुक्त

क्र.एफ 5/अभि./सीटीएडी/275(1)/कुसुम योजना/20-21/29321-34 दिनांक : 02/12/20
प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार संबंधित उपनिदेशक/सहायक निदेशक, उद्यानिकी कृषि विभाग को राशि हस्तान्तरित करावें।
4. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जयपुर/उदयपुर।

कृ.पू.उ.

5. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, उद्यानिकी कृषि विभाग बांसवाडा/डूंगरपुर/
प्रतापगढ़/उदयपुर/सिरोही/राजसमंद/चित्तौड़गढ़/पाली को भेजकर लेख है कि
बैंक खाते का पूर्ण विवरण (चैक की छाया प्रति, खाता धारक का मोबाईल नम्बर)
अविलम्ब भिजवावें।
6. निदेशक, मोनिटरिंग/कम्प्यूटर शाखा/गार्ड फाईल कार्यालय हाजा।



आयुक्त